<u>न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश, जिला–देहरादून।</u>

दाण्डिक अपील सं0–08/2023

गौतम कामरा बनाम स्टेट व अन्य।

<u>06–02–2025</u>

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश अग्रवल उपस्थित आये और प्रार्थना पत्र कागज सं0 28ख प्रस्तुत करते कहा गया कि उक्त मामले से संबंधित मूल वाद को समझौतेनामे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जा चुका है जिस कारण वर्तमान अपील पर कोई बल नहीं देना है। अपने कथनों के समर्थन में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न की गयी है।

अतः ऐसी स्थिति में जबकि, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधी वर्तमान अपील पर बल नहीं देना कहा है और जबकि प्रश्नगत अपील से संबंधित वाद को विचारण न्यायालय द्वारा समझौतेनामे के आधार पर निस्तारित किया जा चुका है। तदानुसार उक्त दाण्डिक अपील का कोई औचित्य न पाते हुए बगैर गुण–दोष के आधार पर खारिज की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक जांच दाखिल दफ्तर हो।

(अजय डुंगराकोटी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
ऋषिकेश, देहरादून।